

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23/2022

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. भगवानाराम पुत्र मोतीराम जाति चौधरी निवासी राखी, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स जयलक्ष्मी किराणा स्टोर, मोकलसर चौराहा, सिवाना, बाड़मेर का मालिक)
2. अशोक कुमार पुत्र शेशाराम निवासी दधिष धर्मशाला गली, सुमेरपुर, पाली प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स विक्रम ट्रेडिंग क0, सुआरों का वास, सुमेरपुर, पाली

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2021 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स जयलक्ष्मी किराणा स्टोर, मोकलसर चौराहा, सिवाना, बाड़मेर का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ चाय ब्राण्ड विक्रम (250 ग्राम) जो कि 10 किलो एक कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 250-250 ग्राम के कुल 8 पैकेट चाय ब्राण्ड विक्रम (250 ग्राम) वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या पी-1402 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ चाय ब्राण्ड विक्रम (250 ग्राम) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ चाय ब्राण्ड विक्रम (250 ग्राम) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह प्रस्तुत कर




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है तथा अपनी छोटी सी किराणे की दुकान चलाकर भरण-पोषण करता है। वह पैकिंग चाय खरीदता है तथा उसी अवस्था बिना छेड़-छाड़ किये आगे बेचान करता है। लिहाजा उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 24.09.2021 में उक्त खाद्य पदार्थ नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लिखित जवाब में अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है, जो उसके द्वारा कारित अपराध की मौक स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उम्मेदसिंह रावत)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर